

आदेश

रीवा / दिनांक 12-09-2022

कमांक / मा.चि. / 2022 / 279 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी वनमंडल सिंगरौली के पत्र कमांक / मा.चि. / 6589 दिनांक 05.09.2022 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत जल जीवन मिशन योजना में प्रभावित वन भूमि 6.460 हे० के बदले प्राप्त राजस्व भूमि ग्राम-भीखझरिया, हल्का-कोनी, राजस्व निरीक्षक मण्डल-सरई, तहसील-सरई, जिला- सिंगरौली खसरा नम्बर 289/2 रकवा 6.50 हेक्टेयर में तैयार की गई 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे० में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रुपये में
1	जल जीवन मिशन प्रकरण कमांक FP/MP/WATER/145025/2021 FP/MP/WATER/144394/2021	पश्चिम सरई	क्षतिपूर्ति वनीकरण (वैकल्पिक वृक्षारोपण)	ग्राम-भीखझरिया, हल्का-कोनी, राजस्व निरीक्षक मण्डल-सरई, तहसील-सरई, जिला- सिंगरौली खसरा नम्बर 289/2 रकवा 6.5 हेक्टेयर	6.50	54,98,381 / -
				योग-	6.50	54,98,381 / -

शर्तें-

- सभी औषधीय रोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियाचयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

प्र० कमांक / मा० चि० / 2022 / 7546

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली की ओर आपके पत्र कमांक / मा.चि. / 6589 दिनांक 05.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- प्राक्कलन 2 प्रति में

(ए.के. सिंह भा.व.सं.)

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 12-09-2022

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना के तहत

परियोजना का नाम	:- जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:- भीखाझरिया
खसरा क्रमांक	:- 289/2 (राजस्व भूमि)
कुल रकवा	:- 6.5 हेक्टेयर
रोपण योग्य रकवा	:- 6.5 हेक्टेयर
वनमण्डल का नाम	:- सिंगरौली (सामान्य)

सामान्य विवरण

1.	परियोजना का नाम	:-	जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
2.	जिला	:-	सिंगरौली
3.	वनमण्डल	:-	सिंगरौली
4.	परिक्षेत्र	:-	पश्चिम सरई
5.	तहसील	:-	देवसर
6.	ग्राम पंचायत	:-	कोनी
7.	बीट का नाम	:-	पूर्व सरई
8.	खसरा क्रमांक	:-	289/2 राजस्व भूमि
9.	ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम	:-	भीखाझरिया
10.	कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है	:-	प्रत्यावर्तित राजस्व भूमि
11.	मिट्टी का प्रकार	:-	सेन्डीलोम
12.	साईट क्वालिटी	:-	ND

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 9580
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	500	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.0 से 5.0
सागौन	8080	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.5 से 5.0
चिरौल	500	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5 से 3.0
करंज	500	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.5 से 3.0
योग-	9580	-	-	-

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जावेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य प्रस्तावित किया गया है।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य प्रस्तावित किया गया है।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन अधिकारी
वन विभाग, जिला मुख्यालय

भाग -2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आँकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।


श्री रामनाथ प्रजापति वनपाल

परिक्षेत्र सहायक

सरई


श्री उमाकान्त उपाध्याय वनरक्षक

बीट गार्ड

पूर्व सरई

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आँकड़ों की पुष्टि की गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।

उप वनमण्डल अधिकारी

उप वनमण्डल देवसर

प्रमाण पत्र

जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रत्यावर्तित राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 289/2 रकवा 6.5 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई में स्थित है, इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/(फेंसिंग) बनाने के लिये पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। " वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है एवं चैनलिंग फेंसिंग पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।"


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण –भीखाझरिया खसरा
क्रमांक 289/2 (राजस्व भूमि)

घेराव का कुल क्षेत्रफल (हे.)	6.5
वास्तविक रोपण कुल क्षेत्रफल (हे.)	5.75
निरीक्षण पथ का क्षेत्रफल (हे.)	0.30
भू-जल संरक्षण कार्य का क्षेत्रफल (हे.)	0.45


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

—00—

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट पूर्व सरई के खसरा क्रमांक 289/2 प्रत्यावर्तित राजस्व भूमि रकवा 6.50 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 13.08.2022 को किया गया। मौके की स्थिति को देखते हुए वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

उप वनमण्डल अधिकारी

उप वनमण्डल देवसर


वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

—00—

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट पूर्व सरई के खसरा क्रमांक 289/2 प्रत्यावर्तित राजस्व भूमि रकवा 6.50 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक को किया गया। मौके की स्थिति को देखते हुए वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।



वनमण्डल अधिकारी

वनमण्डल सिंगरौली(सा0)

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आर्दश योजना

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी (वर्ष 2022-23)

संख्या 1666 पौधे प्रति हैक्टेयर

दैनिक मजदूरी की दर - 351.00 (अप्रैल 2022 से प्रभावशील)

स्थल का नाम - भीखाझरिया, खसरा क्रमांक - 289/2, रकबा- 6.50 हैक्टे.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	6.5	0.45	हे0	2.93	1027	जाबदर
2	पक्का मुनारा निर्माण कार्य	13	16	प्रति मुनारा	208.00	73008	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामाग्री सहित) हैक्टे.	6.5	1	हे0	6.50	2282	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई कार्य	6	4.00	हे0	24.00	8424	जाबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य- क्षेत्र की आवश्यकतानुसार (मध्यम)	0	12.50	हे0	0.00	0	जाबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. उंची 75mmx75 mm की मेस साइज, 12 गज चैनलिक फेसिंग से करने पर, साथ ही सीमेण्ट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी. /प्रति किलों की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेण्ट पोल को 75 30 cm x30 cm x45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेण्ट कांक्रीट से भरा जायेगा।	1060	2.40	प्रति र.मी.	2544.00	892944	गणना के आधार पर
7	स्टेकिंग- गड्डे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं चूने से गड्डे हेतु निशान लगाना						
	गड्डे खोदने हेतु स्टेकिंग 3x2 मीटर के अन्तराल पर (5.75 हैक्टेयर क्षेत्र में)	9580	2.50	हजार	23.95	8406	जाबदर
8	गड्ढा खुदाई						
	45x45x45 से.मी.	9580	5.00	सैकड़ा	479.00	168129	जाबदर
9	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु क्रय आयतन का 30 प्रतिशत	176	1.5	प्रति घ.मी.	263.25	92401	बाजार दर
10	गोबर खाद डालने हेतु क्रय आयतन का 15 प्रतिशत	88	3.0	प्रति घ.मी.	263.25	92401	बाजार दर
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	9580	1.50	सैकड़ा	143.70	50439	जाबदर
12	वाच हट निर्माण कार्य		LS		140.00	49140	अनुमानित
13	गेट निर्माण कार्य		LS		100.00	35100	अनुमानित
14	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, पहुँच मार्ग सचूना बोर्ड, घूना, रस्सी, आदि)				229.34	80500	अनुमानित
योग -					4427.92	1554200	
15	भू-जलसंरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	6.5					
	पत्थर चैकडैम निर्माण कार्य	0	1.00	प्रति घ.मी.	0.00	0	जाबदर
	मिट्टी चैकडैम निर्माण कार्य	628.28	0.60	प्रति घ.मी.	376.97	132316	जाबदर
	परकूलेशन टैंक निर्माण कार्य	1	730.00	प्रति नग	730.00	256230	
कुल योग					4804.89	1942745	
व्यय प्रति हे0 -						298884	

द्वितीय वर्ष – 2023-24 (रोपण वर्ष)

दैनिक मजदूरी की दर – 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु०	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	9580	0.03546	प्रति पौधा	339.71	119237	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	1916	0.03546	प्रति पौधा	67.94	23847	बाजार दर
2	पौधा परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रेक्टर द्वारा	11496	1.5	सैकड़ा	172.44	60526	जाबदर
	सिरबोझ पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	11496	0.40	सैकड़ा	45.98	16140	जाबदर
3	लेण्टाना मापिंग अप आपरेशन	0	8.00	प्रति है०	0.00	0	जाबदर
4	पौधा रोपण –						
	45×45×45 से.मी. गड्ढों में रोपण	9580	1.80	सैकड़ा	172.44	60526	जाबदर
5	निंदाई कार्य –						
	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
	(3) तृतीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
6	खाद एवं कीटनाशक डलवाई कार्य	9580	0.60	सैकड़ा	57.48	20175	जाबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
8	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (9 माह)	1x9	270	प्रति श्रमिक	270.00	94770	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	9580	L.S.	L.S.	300.00	105300	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				200.00	70200	अनुमानित
योग –					1940.69	681182	
व्यय प्रति है० –						104797	

तृतीय वर्ष – 2024-25 (रखरखाव का प्रथम वर्ष)

दैनिक मजदूरी की दर – 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोपणी व्यय						
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत	958	0.03546	प्रति पौधा	33.97	11924	बाजार दर
2	पौधा परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	958	1.5	सैकड़ा	14.37	5044	जाबदर
	सिरबोझ पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	958	0.40	सैकड़ा	3.83	1345	जाबदर
3	चैनलिक फेसिंग मरम्मत कार्य				80.00	28080	अनुमानित
4	प्रत्यारोपण –						
	प्रत्यारोपण (10 प्रतिशत)	958	1.50	सैकड़ा	14.37	5044	जाबदर
5	निंदाई कार्य –						
	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
	(3) तृतीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
6	खाद एवं कीटनाशक डलवाई कार्य	9580	0.60	सैकड़ा	57.48	20175	जाबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
8	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	9580	L.S.		300.00	105300	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				200.00	70200	अनुमानित
योग –					1378.72	483931	
व्यय प्रति हे0 –						74451	

चतुर्थ वर्ष 2025-26 (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोपणी व्यय						
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 10 प्रतिशत	958	0.03546	प्रति पौधा	33.97	11924	बाजार दर
2	पौधा परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	958	1.5	सैकड़ा	14.37	5044	जाबदर
	सिरबोझ पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	958	0.40	सैकड़ा	3.83	1345	जाबदर
3	प्रत्यारोपण -						
	प्रत्यारोपण (10 प्रतिशत)	958	1.50	सैकड़ा	14.37	5044	जाबदर
4	निंदाई कार्य -						
	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
	(3) तृतीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
5	खाद एवं कीटनाशक डलवाई कार्य	9580	0.60	सैकड़ा	57.48	20175	जाबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
7	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	300.00	105300	अनुमानित
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				100.00	35100	अनुमानित
योग -					838.72	294391	
व्यय प्रति हे0 -						45291	

पंचम वर्ष 2026-27 (रखरखाव का तृतीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चैनलिंग फेसिंग मरम्मत कार्य				100.00	35100	अनुमानित
2	निर्दाई कार्य - निर्दाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
	(3) तृतीय गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
3	खाद एवं कीटनाशक डलवाई कार्य	9580	0.60	सैकड़ा	57.48	20175	जाबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
5	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
6	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					882.18	309645	
व्यय प्रति हे0 -						47638	

षष्ठम वर्ष 2027-28 (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निर्दाई कार्य - निर्दाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
	(3) तृतीय गोल निर्दाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
3	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
4	अन्य व्यय				100.00	35100	अनुमानित
योग -					774.70	271920	
व्यय प्रति हे0 -						41834	

सप्तम वर्ष 2028-29 (रखरखाव का पंचम वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निंदाई कार्य - निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
	(2) द्वितीय गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.00	सैकड़ा	95.80	33626	जाबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
3	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
4	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					628.90	220744	
व्यय प्रति हे0 -						33961	

अष्टम वर्ष 2029-30 (रखरखाव का षष्ठम वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	निंदाई कार्य - निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना						
	(1) प्रथम गोल निंदाई (1 मी. व्यास में)	9580	1.25	सैकड़ा	119.75	42032	जाबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
3	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
4	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					533.10	187118	
व्यय प्रति हे0 -						28787	

नवम् वर्ष 2030-31 (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
2	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					413.35	145086	
व्यय प्रति हे0 -						22321	

दशम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
2	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					413.35	145086	
व्यय प्रति हे0 -						22321	

एकादशम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 351.00

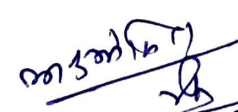
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मा.दि.	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि रु0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1	3.35	प्रति कि.मी.	3.35	1176	जाबदर
	3 मीटर चौड़ी	0	2.25	प्रति कि.मी.	0.00	0	जाबदर
2	सुरक्षा कार्य 1 श्रमिक (12 माह)	1x12	360	प्रति श्रमिक	360.00	126360	अनुमानित
3	अन्य व्यय				50.00	17550	अनुमानित
योग -					413.35	145086	
व्यय प्रति हे0 -						22321	

प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा, आर्दश रोप

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	मा.दि.	राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि	वृद्धि पर	क राशि	प्रति हे० व्यय
1	2022-23	प्रथम वर्ष - क्षेत्र तैयारी	4804.9	1942745	1	4804.89	1422247	218807
2	2023-24	द्वितीय वर्ष - रोपण वर्ष	1940.69	681182	1.06	2057.13	608912	93679
3	2024-25	तृतीय वर्ष - रखरखाव का प्रथम वर्ष	1378.72	483931	1.1236	1549.13	458543	70545
4	2025-26	चतुर्थ वर्ष - रखरखाव का द्वितीय वर्ष	838.72	294391	1.191	998.92	295680	45489
5	2026-27	पंचम वर्ष - रखरखाव का तृतीय वर्ष	882.18	309645	1.2625	1113.75	329671	50719
6	2027-28	षष्ठम वर्ष - रखरखाव का चतुर्थ वर्ष	774.70	271920	1.3382	1036.70	306864	47210
7	2028-29	सप्तम वर्ष - रखरखाव का पंचम वर्ष	628.90	220744	1.4185	892.09	264060	40625
8	2029-30	अष्टम वर्ष - रखरखाव का षष्ठम वर्ष	533.10	187118	1.504	801.78	237328	36512
9	2030-31	नवम वर्ष - रखरखाव का सप्तम वर्ष	413.35	145086	1.594	658.88	195028	30004
10	2031-32	दशम वर्ष - रखरखाव का अष्टम वर्ष	413.35	145086	1.690	698.56	206774	31811
10	2032-33	एका दशम वर्ष - रखरखाव का नवम वर्ष	413.35	145086	1.790	739.90	219009	33694
कुल योग -			13021.96	4826934		15351.74	4544116	699095
अन्य व्यय								
1	आस्था मूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 05 प्रतिशत				4544116	5%	227206	34955
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 01 प्रतिशत				4544116	1%	45441	6991
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (कार्य के कुल दस वर्ष के व्यय का 04 प्रतिशत)				4544116	4%	181765	27964
	Total :-					10%	4998528	769004
1	वर्कचार्ज कन्टरजेन्सी एवं सुपरविजन 10 प्रतिशत				4998528	10%	499853	76900
	Grand Total :-						5498381	845905


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र प० सरई

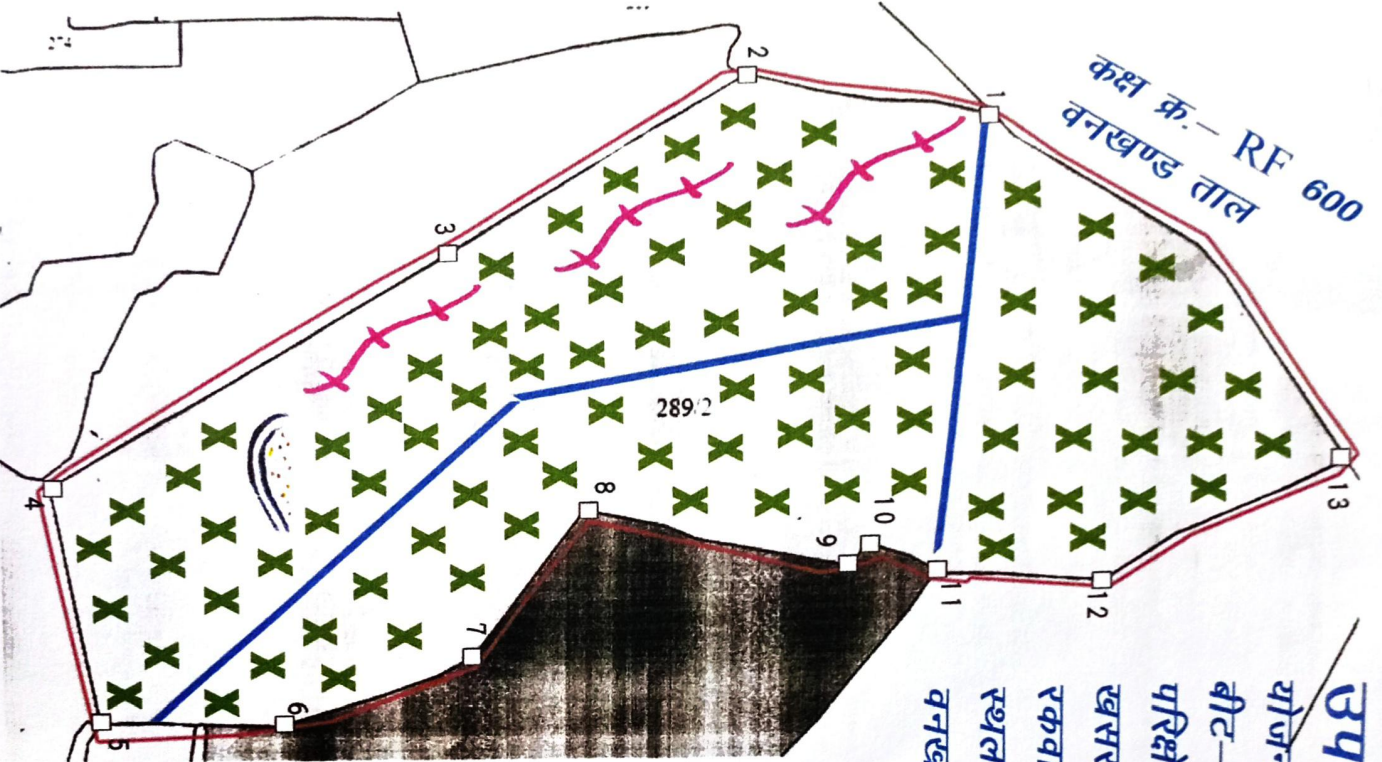
उप वन मण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल देवसर


वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सा०)

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म०प्र०)

लकरीकी स्वीकृति आदेशा क्रमांक/सा.मि./2022/279 दिनांक 12-09-2022
लकरीकी स्वीकृति राशि रुपये - 54,98,381/-

S ————— N

कक्ष क्र.- RF 600
वनखण्ड ताल



उपचार मानचित्र

योजना-जलजीवन मिशन अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण
बीट-पूर्व सरई
परिक्षेत्र-प०सरई
खसरा क०-289/2
रकबा-6.5 हे०
स्थल-भीखाझरिया
वनखण्ड-प्रत्यावर्तित राजस्व भूमि

संकेत

1. मुनारा निर्माण □ □ □ □
2. फेसिंग —————
3. गढ़ा खुदाई XXXXX
4. निरीक्षण पथ / —————
5. चकडैम
6. परपुलेशन टैंक

Handwritten signature
वन विभाग, अमरावती
वन विभाग, अमरावती

Udara

MOHANBAN RE
422

RESERVED FOREST

dense mixed jungle mainly sal

R 600

R-349

VIII

RANGE SARAI EAST
GORA S.C.I.

प्रस्तावित एरिया राजस्व
खसरा क्र-289/2
एकवा 6.5 हे०

Bhikhajhariya

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RANGE-EAST SAR

Birkhajarharya

Bhamraha

Dense mixed jungle mainly sal

MOHANBAN RESERVED FOREST

R-350

R-349

R-351

432

VI

IV

V

VII

XV

XIX

II

III

ord

7r

BL-1

BL-1

BL-1

US2

Nepal

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरीली (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 10/अ-20(3)/2022-23

विषय- जल जीवन मिशन योजना से प्रभावित हो रही 6.46 हे० वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भीखाझिरिया तहसील सरई की गजब वन भूमियों का अंतरण वन विभाग को किए जाने बाबत।

आदेश

(आज दिनांक 10 जून, 2022 को पारित एवं घोषित)

यह प्रकरण आवेदक महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन विभाग, सिंगरीली के पत्र क्रमांक 76/परा प्रबंध/म.प्र.ज.मि.मर्या/परि.क्रि.ई/2022 दिनांक 19/5/2022 पर मर्यादित किया गया है। जिसमें यह दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सिंगरीली जिले के 673 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन योजना' के अंतर्गत गोण्ड देवसर, वेदुन-1, वेदुन-2 सम्पूर्ण जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्रोत से प्रत्येक ग्राम एवं ग्रामों के भीतर घरों तक पाइप लाईन बिछाई जानी है। पाइप लाईन बिछाने का कार्य सड़क के R.O.W. Alignment पर किया जाना है। जिले में वन क्षेत्र की बहुलता होने के कारण पाइप लाईन कई क्षेत्रों में वन क्षेत्र से होकर ले जाया जाना अपरिहार्य है, जिससे वन भूमियां प्रभावित होंगी। यह भी लेख किया गया है कि वन मण्डल अधिकारी, सिंगरीली के पत्र क्रमांक/मा0चि/110, 112 दिनांक 6/1/2022 द्वारा गोण्ड देवसर जल प्रदाय योजना में प्रभावित हो रही कुल 6.46 हे० वन भूमि के बदले में वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अंतरण किए जाने की सहमति दी गई है। उपरोक्त संबंध में तहसील सरई अंतर्गत ग्राम भीखाझिरिया स्थित आराजी क्रमांक 289 अंश रकबा 6.47 हे० गजब वन भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सतत आपूर्ति के उद्देश्य से संचालित अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना 'जल जीवन मिशन योजना' के क्रियान्वयन हेतु ली जाने वाली वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अन्य शासकीय भूमियां उपलब्ध कराए जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत प्रकरण पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, देवसर को प्रस्तावित भूमि के अंतरण हेतु मध्य प्रदेश वजूल निवर्तन निदेशा 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निदेशित किया गया। प्रकरण जिला वजूल निवर्तन समिति सिंगरीली के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी, देवसर द्वारा जांच उपरांत आवेदित आराजी क्रमांक 289 (कबा 9.15 हेक्टर का अंश रकबा 6.50 हे० वन विभाग को अंतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। दिनांक 8.6.2022 सम्पन्न जिला स्तरीय वजूल निवर्तन समिति की बैठक में प्रस्तावित वजूल भूमि को वन विभाग को अंतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- प्रकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं-

(2)

प्रकरण क्रमांक 10/अ-20(3)/2022-23

(1) प्रस्तावित भूमि राजस्व विभाग की है, जिसकी किस्म जमीन 'वन' दर्ज अभिलेख है।

(2) वन परिक्षेत्र अधिकारी, सरई (पश्चिम) के पत्र क्रमांक 905 दिनांक 12/5/2022 जो वन मण्डल अधिकारी, सिंगरोली को सम्बोधित है, की प्रति प्रकरण में संलग्न है। उक्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रकरण में अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि अतिक्रमण मुक्त है, वृक्षारोपण योग्य है एवं प्रस्तावित आराजी की पूर्वी व उत्तरी सीमा आश्रित वन कक्ष क्रमांक 600 वनखण्ड ताल से लगी हुई है।

(3) वन मण्डल अधिकारी, सिंगरोली के पत्र पृष्ठान्न क्रमांक/पाठवि0/111 व 113 दिनांक 6/1/2022 में लेख किया गया है कि गोड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाईप लाइन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है, जिसमें वन मण्डल सिंगरोली अन्तर्गत कुल 6.46 हे० भूमि प्रभावित हो रही है, उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वन भूमि वन विभाग को प्रदाय करने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करे। उक्त पत्रों में यह भी लेख किया गया है कि कृपया यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त वनभूमि के बदले प्रदान की जा रही गैर वनभूमि वनभूमि सीमा से लगी हो।

(4) चूंकि अन्तर्ण हेतु प्रस्तावित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरण हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि वन कक्ष क्रमांक 600 वनखण्ड ताल से लगी हुई है। उपखण्ड अधिकारी, देवसा के प्रतिवेदन एवं अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित आराजी पर महआ, तेदु, पलाश व अन्य प्रजाति के लगभग 200 से अधिक पेड़ स्थित हैं। उक्त दोनों कारणों से वन मण्डल अधिकारी, सिंगरोली के उक्त पत्रों में वर्णित अनुसार प्रस्तावित भूमि वनीकरण हेतु वन विभाग को अन्तरित किया जाना उचित होगा।

(5) प्रस्तावित भूमि पर कोई अतिक्रमण आदि नहीं है। अतएव वनीकरण हेतु उपयोग में लाए जाने में कोई असुविधा भी नहीं होगी।

4. अतएव प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला नज़ूल निर्वहन समिति, सिंगरोली द्वारा लिए गए निर्णयानुसार आराजी मोहासिमिया तहसील सरई स्थित राजस्व वन भूमि क्रमांक 289 एकड़ 9.15 हेक्टर का आराजी 28972 हे० जो जवों में लाल स्याही से बड़ा नंबर 28972 के रूप में प्रदर्शित है एवं इस आराजी के साथ 28972 अनुसूचक-1 है, वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार, जवोंनामा तहसील समस्त अभिलेख प्रविष्टियों में प्रासांगिक तब्दीलात दुरुस्त कराने हुए पीके अंतरण पत्रक को सिंगरोली या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को अधिपत्य दिलावे एवं संशोधित अभिलेखों में अंतरण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(3)
प्रकरण क्रमांक 10/अ-20(3)/2022-23

पुष्पकाल क्रमांक 40/अभिलेख पासवुक/22-23
प्रतिलिपि:-

सिंगरीली, दिनांक 10 जून 2022

1. वन मण्डल अधिकारी, सिंगरीली
2. उपखण्ड अधिकारी/नजूल अधिकारी, देवसर।
3. तहसीलदार, तहसील सरई।
4. महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरीली, मण्डल जल निगम मय्यादित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिला सिंगरीली (मण्डल)

अनुसंधानकर्ता

नजरी नक्शा

ग्राम: भीमपुरिया
तहसील: बरवा
जिला: जयपुर



प्रमाणित किया गया 2009


Collector
Dist. Jaipur (H. P.)

टीप- नालवादी के रा. जिल्हे अन्तर्गत जलद

टीप- नालवादी के रा. जिल्हे अन्तर्गत जलद

फार्म पी -II

खसरा

भूमि का ब्यौरा हेवटेयर में एवं कर्ने का ब्यौरा रूपरेफे में

ग्राम: भीखझिरिया		हल्का : कोनी		रा.नि.म. : सरई		तहसील : सरई		जिला : सिंगरौली		वर्ष: 2022-2023	
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पति का नाम तथा पिछरा स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	जिले की भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौकसी को शतक के उप पट्टेदार का नाम, पति का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिन गट भवन का क्षेत्रफल	खाली की भूमि				खाली के ब्यौरे के क्षेत्रों में कोई कर्नात का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष		
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई	पड़ती का क्षेत्रफल	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289/2	65000	(सिंहकोटा) उन विभाग मुख्यालय एवं शासन सम्पत्ती भाग शासकीय सम्पत्ती भू.रा.प.रा.0	भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौकसी को शतक के उप पट्टेदार का नाम, पति का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिन गट भवन का क्षेत्रफल	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुकसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	खाली के ब्यौरे के क्षेत्रों में कोई कर्नात का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष
23 मार्च 2023 को 10:06 AM को भूमि मालिकों के द्वारा											

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कापी के लिए आई.टी. सेक्टर में अथवा भौगोलिक आवेदन करें।